छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

AD—(CS)—JD/——DD
Section——
Date 05 JUL 2024 C.H.E.

03 JUL 2024

– – 0 – –

क्रमांक एफ 17–31/2024/38–2,   नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2024

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :– वर्ष 2024–25 से नवीन कक्षा/संकाय/अतिरिक्त विषय प्रारंभ करने एवं सीट वृद्धि की अनुमति बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 1140/163/आउशि/अ.शै.प्र./2023–24, दिनांक 08/04/2024

––0––

राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरहदा, रायपुर, जिला–रायपुर(छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2024–25 में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार नवीन संकाय प्रारंभ करने एवं निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करता है:–

क्र.	कक्षा/संकाय/विषय	सीट संख्या
1	पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलॉसफी	30 सीट नवीन संकाय
2	एम.एस. डब्ल्यू	25 सीट नवीन संकाय

1. शासन द्वारा जारी अनुमति शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए ही मान्य होगा।
2. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 का पालन किया जाए।
3. अधिनियम 2006 के अंतर्गत कंडिका–18 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. परिनियम–28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।
5. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए।
6. उक्त कक्षा/संकाय/विषय हेतु पृथक–पृथक रू. 30–30 हजार की अद्यतन पुस्तकें क्रय की जाए।
7. उक्त कक्षा/संकाय/विषय हेतु आवश्यक कम्प्यूटर, लाइसेंसयुक्त साफ्टवेयर, उन्नत प्रायोगिक उपकरण, प्रायोगिक सामग्री क्रय किया जाए तथा कम्प्यूटर लैब, प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाए।

.....2

8. संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही महाविद्यालय द्वारा उक्त कक्षा/संकाय/विषय का संचालन किया जावेगा। संबद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
9. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों को पूर्ण कर, महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संचालनालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए।

उक्त नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 17–31/2024/38–2, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/07/2024
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.),
3. प्राचार्य, स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरहदा, रायपुर, जिला–रायपुर(छ.ग.),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग